कुलसचिव
Registrar

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ
वाराणसी–221002
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi-221002
Email : registrarmgkvp@gmail.com

संख्या–कु0स0/7674/2Aसाप्र–I(विज्ञापन)/2023 दिनांक– 23 फरवरी, 2023

सेवा में

विज्ञापन मैनेजर
दैनिक समाचार–पत्र "दैनिक जागरण (हिन्दी)" एवं "हिन्दुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी)"
वाराणसी।

महोदय,

कृपया अधोलिखित विज्ञापन को अपने दैनिक समाचार–पत्र में सम्मुखांकित तिथियों को निर्दिष्ट संस्करणों में **अधिकतम 50 वर्ग सेंटीमीटर स्थान** में प्रकाशित कर उन संस्करणों की दो–दो प्रतियाँ कार्यालय के उपयोग हेतु और बिल की दो प्रतियों के साथ (15% छूट+हिन्दुस्तान टाइम्स के प्रतिनिधि द्वारा दिये गये 10% अतिरिक्त छूट एवं रेट लिस्ट सहित) संलग्न कर भुगतान हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(1) **"दैनिक जागरण (हिन्दी)"** : **"समस्त संस्करण"** में दिनांक 24–02–2023, 01–03–2023 एवं 05–03–2023
(2) **"हिन्दुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी)"** : **"समस्त संस्करण"** में दिनांक 25–02–2023, 02–03–2023 एवं 06–03–2023

**महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,वाराणसी**
उत्तर प्रदेश अधिनियमित राज्य विश्वविद्यालय
विज्ञापन संख्या–1/2023

विश्वविद्यालय में रिक्त प्रोफेसर–12 पद, एसोसिएट प्रोफेसर–09 पद एवं असिस्टेंट प्रोफेसर–58 पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 01–03–2023 से ऑनलाइन आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट **www.mgkvp.ac.in** पर उपलब्ध है। इण्डियन बैंक में निर्धारित शुल्क पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से जमा कर दिनांक 25–03–2023 तक आवेदन किये जा सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने विज्ञापन संख्या–1/2021 के अन्तर्गत आवेदन किया है उन्हें उसी पद पर ऑनलाइन आवेदन करने पर पुनः शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है परन्तु ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरना अनिवार्य है।

कुलसचिव

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मा0कुलपति जी।
2. वित्त अधिकारी।
3. परीक्षा नियंत्रक।
4. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक।
5. कुलानुशासक।
6. पुस्तकालयाध्यक्ष–केन्द्रीय पुस्तकालय/मुख्य गृहपति/गृहस्वामिनी–छात्रावास।
7. विश्वविद्यालय जनसम्पर्क अधिकारी।
8. कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय को इस आशय से कि कृपया इसे अपने विश्वविद्यालय में प्रसारित कराने का कष्ट करें।
9. नोडल अधिकारी/सतर्कता अधिकारी–अनुसूचितजाति/जनजाति, विशेष रोजगार सूचना प्रकोष्ठ।
10. प्रभारी–कम्प्यूटर सेण्टर, उपर्युक्त विज्ञापन, आवेदन–पत्र का प्रारूप एवं अन्य विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।
11. विश्वविद्यालय सेवायोजन, सूचना एवं मंत्रणा केन्द्र/सूचनापट्ट।
12. सम्बन्धित पत्रावली।

Harish
कुलसचिव

## विज्ञापन संख्या–1/2023 – रिक्त पदों का विवरण

| क्र0 स0 | विषय/ विभाग | प्रोफेसर | | | | | एसोसिएट प्रोफेसर | | | | | असिस्टेंट प्रोफेसर | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UR | OBC | SC | ST | EWS | UR | OBC | SC | ST | EWS | UR | OBC | SC | ST | EWS |
| 1. | अर्थशास्त्र | - | 01 | 01 | - | - | - | - | 01 | - | - | 01 | 01 | 01 | - | - |
| 2. | समाजशास्त्र | - | 01*[1] | - | - | - | - | 01*[3] | - | - | - | 04*[5] | - | 03 | 01 | 01 |
| 3. | मनोविज्ञान | - | 01 | - | - | - | - | 01*[4] | 01 | - | - | 02 | - | - | 01 | - |
| 4. | समाजकार्य | 01*[2] | - | 01 | - | - | - | - | - | - | - | 03*[6] | - | - | - | 02 |
| 5. | अंग्रेजी | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02 | - | - | - |
| 6. | हिन्दी | - | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 03*[7] | - | - | - | 01 |
| 7. | इतिहास | - | - | - | - | - | 01*[11] | - | - | - | - | 03*[8] | 01 | 01 | - | 01 |
| 8. | दर्शनशास्त्र | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01*[11] | 01 | - | - | - |
| 9. | पत्रकारिता संस्थान | - | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | राजनीतिशास्त्र | - | - | - | - | 01 | - | - | - | - | - | 03*[9] | 02 | - | - | - |
| 11. | शिक्षाशास्त्र | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02 | 01 | - | - | - |
| 12. | संस्कृत | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01 | 03 | - | 02 | - | 01 |
| 13. | पत्रकारिता विभाग | - | - | - | - | - | - | - | 01 | - | - | 01 | - | - | - | - |
| 14. | ललितकला | - | - | 01 | - | - | - | - | - | - | - | 01 | 01 | - | - | - |
| 15. | वाणिज्य | - | - | - | - | - | | - | - | - | 01 | - | - | 01 | - | - |
| 16. | विधि | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01 | 01 | - | - | - |
| 17. | सांख्यिकी | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01 | - | - | - | - |
| 18. | गांधी अध्ययनपीठ | - | - | - | - | - | - | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | उर्दू | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02*[10] | 01*[10] | - | - | - |
| | योग– | **03** | **05** | **03** | **-** | **01** | **01** | **03** | **03** | **-** | **02** | **31** | **11** | **08** | **02** | **06** |

*[1]–प्रोफेसर–समाजशास्त्र OBC-01पद Criminology में विशेषीकरण का है।

*[2]–प्रोफेसर–समाजकार्य UR -01पद Industrial Relation and labour welfare में विशेषीकरण का है।

*[3]–एसोसिएट प्रोफेसर–समाजशास्त्र OBC-01पद Criminology में विशेषीकरण का है एवं दिव्यांग हेतु आरक्षित है।

*[4]–एसोसिएट प्रोफेसर–मनोविज्ञान का OBC-01 पद Social Psychology/Industrial Psychology/ Clinical Psychology में विशेषीकरण का है।

*[5]–असिस्टेंट प्रोफेसर–समाजशास्त्र के UR-04 पदों में से 01पद–Criminology में विशेषीकरण, 01पद–Social Statistics में विशेषीकरण के हैं।

*[6]–असिस्टेंट प्रोफेसर–समाजकार्य के UR-03पदों में से 01पद–दिव्यांग (दृष्टबाधित या कम दृष्टि) हेतु आरक्षित है।

*[7]–असिस्टेंट प्रोफेसर–हिन्दी के UR-03पदों में 01पद दिव्यांग हेतु आरक्षित है।

*[8]–असिस्टेंट प्रोफेसर–इतिहास के UR-03पदों में 01पद Modern European History में विशेषीकरण का है।

*[9]–असिस्टेण्ट प्रोफेसर–राजनीतिशास्त्र के UR-03पदों में 01पद Comparative Politics/Political Development में एवं 01पद में Modern Political Analysis विशेषीकरण का है।

*[10]–असिस्टेंट प्रोफेसर–उर्दू के UR-02पद एवं OBC-01पद माननीय उच्च न्यायालय, प्रयागराज में योजित याचिका संख्या–9228/2020 में पारित निर्णय से आच्छादित होगा।

*[11]–एसोसिएट प्रोफेसर–इतिहास UR-01 पद एवं असिस्टेंट प्रोफेसर–दर्शनशास्त्र UR-01 पद 30जून, 2023 तक रिक्त होगा।

वेतनमान :
1. प्रोफेसर : Academic Level – 14 with rationalized entry pay of Rs.1,44,200
2. एसोसिएट प्रोफेसर : Academic Level – 13A with rationalized entry pay of Rs.1,31,400
3. असिस्टेंट प्रोफेसर : Academic Level – 10 with rationalized entry pay of Rs.57,700

नोट :– *आरक्षित संवर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण–पत्र एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत करने पर ही आरक्षण का लाभ देय होगा।*

*****

# महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

## विज्ञापन संख्या–1/2023 – आवश्यक तिथियाँ एवं आवेदन–शुल्क

| | |
|---|---|
| नियुक्ति आवेदन–पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन भरने की तिथि | दिनांक 01–03–2023 से 25–03–2023 तक |
| शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि | दिनांक 01–03–2023 से 25–03–2023 तक |
| आवेदन–पत्र का प्रिण्ट प्राप्त करने की अन्तिम तिथि | दिनांक 26–03–2023 को अपराह्न 5:00 बजे तक |

वेबसाइट से प्रिण्ट किये गये आवेदन–पत्र की प्रति समस्त संलग्नकों सहित दिनांक 04–04–2023 तक केवल पंजीकृत डाक/स्पीड–पोस्ट के माध्यम से विश्वविद्यालय को प्राप्त हो जानी चाहिए। इसके अभाव में आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

आवेदन हेतु निर्धारित शुल्क :

| | | |
|---|---|---|
| **UR** | : रू.1500.00 (रूपये एक हजार पांच सौ मात्र)। |
| **EWS** | : रू.1000.00 (रूपये एक हजार मात्र)। |
| **OBC** | : रू.1000.00 (रूपये एक हजार मात्र)। |
| **SC** | : रू.1000.00 (रूपये एक हजार मात्र)। |
| **ST** | : रू.1000.00 (रूपये एक हजार मात्र)। |

*****

अर्हता :–

1. विज्ञापित पदों की अर्हता एवं अन्य शर्तें उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 एवं उ0प्र0शासन द्वारा संशोधित अभिनव मानक तथा तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय परिनियम के अनुसार किये गये नवीनतम संशोधनों के अधीन होंगी।
2. University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other academic staff in universities and colleges and Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) Regulations, 2018, all Amendment such as through its wide Letter **F.No.9-1/2010(PS/Misc)pt/Vol-II** Dated October 12, 2021 will be applicable for as certaining Minumum eligibility as case may be.
3. राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0, लखनऊ के संलग्न आदेश संख्या–ई–4229/जी0एस0 दिनांक 02 जुलाई, 2021 व अन्य के आलोक में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

निर्देश :–

1. ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात् उसका प्रिण्ट डाउनलोड कर समस्त संलग्नकों सहित दिनांक 04–04–2023 तक विश्वविद्यालय को केवल पंजीकृत डाक/स्पीड–पोस्ट के माध्यम से प्राप्त कराना आवश्यक है। अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे। इसके अभाव में आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. सहायक आचार्य के पदों हेतु आवेदन उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक–भा0स0–42/सत्तर–1–2021 उच्च शिक्षा अनुभाग–1 दिनांक 28 अक्टूबर, 2021 एवं यू0जी0सी0 के पत्रांक–**F.No.9-1/2010(PS/Misc)pt/Vol-II** Dated October 12, 2021 के आलोक में आमंत्रित किये जा रहे हैं।
3. आवेदित पद/पद का संवर्ग/अभ्यर्थी का संवर्ग, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव आदि सूचनायें आवेदन–पत्र में स्पष्ट रूप से इंगित करना अनिवार्य है। अस्पष्ट/अपूर्ण/भ्रामक सूचना की स्थिति में भी आवेदन–पत्र निरस्त कर दिया जायेगा जिसके लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे। इसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।
4. प्रत्येक पद एवं संवर्ग के लिए अलग–अलग आवेदन करना अनिवार्य होगा। इन पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 01–08–2023 को अधिकतम् आयु 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
5. उत्तर प्रदेश शासन के नियमानुसार उ0प्र0 के निवासी होने पर आरक्षित संवर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय होगा। आरक्षित संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन–पत्र के साथ जाति प्रमाण–पत्र (छः माह के भीतर जारी किया हुआ) संलग्न करना अनिवार्य है। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण–पत्र में क्रिमीलेयर (Creamy Layer) के होने/न होने का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित पदों के अभ्यर्थियों को पिता के नाम सहित आर्थिक रूप से कमजोर होने का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। इसके अभाव में संगत लाभ देय नहीं होगा।
6. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य आरक्षण देय है। दिव्यांगजन के लिए आरक्षित पद हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
7. जिन अभ्यर्थियों ने विज्ञापन संख्या–1/2021 के अन्तर्गत आवेदन किया है उन्हें उसी पद पर आनलाइन आवेदन करने पर पुनः शुल्क देय नहीं होगा अर्थात् ऐसे आवेदकों को पुनः आनलाइन आवेदन करना होगा किन्तु पुनः शुल्क जमा नहीं करेंगे परन्तु ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरना एवं उसकी समयान्तर्गत उसकी हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय को प्रेषित करना अनिवार्य है। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा जो भी नयी अकादमिक योग्यता अर्जित की गयी है वो ऑनलाइन आवेदन–पत्र में जोड़ सकते हैं।
8. स्थायी पदों पर नियुक्ति एक वर्ष के परिवीक्षण काल पर की जाएगी जिसे एक वर्ष से अनधिक काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। अवकाश रिक्ति के पदों पर नियुक्ति अवकाश अवधि के लिए है। पद के भविष्य में रिक्त होने पर नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी।
9. दिनांक 30 जून, 2023 को रिक्त हो रहे पदों पर नियुक्ति 01 जुलाई, 2023 से प्रभावी होगी।
10. उ0प्र0शासन के नियमानुसार वेतन, भत्ते, न्यू पेंशन एवं अन्य सुविधायें देय होंगी।
11. विज्ञापित पदों में से एक या अधिक पदों पर नियुक्ति न करने अथवा विज्ञापित पद को निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा। चयन समिति के समय तक विज्ञापित विषयों में रिक्तियाँ उपलब्ध होने की स्थिति में पदों की संख्या बढ़ायी जा सकती है। अर्थात् पदों की संख्या घट–बढ़ सकती है।
12. आवेदन–पत्रों की जाँच/स्क्रीनिंग के उपरान्त उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जा सकता है।
13. साक्षात्कार हेतु औपबन्धिक (Provisional) बुलावा–पत्र प्रेषित किया जायेगा जो निर्धारित मानक/शर्तें पूर्ण होने पर मान्य होगा। त्रुटिवश या मानक पूर्ण न होने पर निर्गत साक्षात्कार बुलावा पत्र अमान्य होगा।

..............2

Jeh15

14. साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए किसी प्रकार का यात्रा–भत्ता देय नहीं होगा।

15. आवेदकों की संख्या के अनुसार साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या विषयवार/पदवार भिन्न–भिन्न हो सकती है जिनमें से कुछ अथवा समस्त को साक्षात्कार हेतु बुलाया जा सकता है।

16. आवेदन–पत्र में उल्लिखित योग्यता/अर्हता/अनुभव आदि के प्रमाण स्वरूप अपेक्षित प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

17. डाउनलोड किये गये आवेदन–पत्र का प्रिण्ट समस्त प्रपत्रों के साथ केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से विश्वविद्यालय में प्राप्त होने की अन्तिम तिथि **04–04–2023** है। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे, फलतः निरस्त कर दिये जायेंगे, जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जाएगी।

18. विज्ञापन संख्या–1/2023 के अन्तर्गत नियुक्ति से सम्बन्धित सभी आपत्तियाँ ई–मेल **recruitment2023@mgkvp.ac.in** के माध्यम से प्रेषित की जा सकती है।

19. आवेदन–पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से लिखें :–

    विज्ञापन संख्या–1/2023
    आवेदित पद का नाम, विषय, संवर्ग एवं विषय–विशेषीकरण यदि कोई हो।

20. पूरित आवेदन–पत्र प्रेषित करने का पता :– कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी–221002.

Harish

कुलसचिव

# राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश

लखनऊ–226027

संख्या : ई– 4229 / जी0एस0

दिनांक 02, जुलाई 2021

## आदेश

प्रदेश के विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों में विभिन्न शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु 'साक्षात्कार में पारदर्शिता' लाने के उद्देश्य से प्रक्रिया निर्धारण विषयक आदेश संख्याः ई–3019/32–जी0एस0/2020, दिनांक 18 मई, 2021 निर्गत किया गया है। इस विषय पर विभिन्न विश्वविद्यालयों की माह जून, 2021 में की गयी समीक्षा के दौरान इस आदेश पर विस्तृत चर्चा की गयी। विभिन्न विश्वविद्यालयों से जो व्यवहारिक एवं विधिसम्मत सुझाव प्राप्त हुए, उसके आलोक में पूर्व पारित आदेश की व्यवस्थाओं में निम्नवत् आंशिक संशोधन/स्पष्टीकरण निर्गत किया जाता है:–

अ–सहायक आचार्यः–

1. सहायक आचार्य के पद पर चयन हेतु प्रक्रिया के दो चरण होंगे। पहला चरण Short-listing का होगा और दूसरा चरण साक्षात्कार का।
2. उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनादेश संख्या–1190/सत्तर–1–2019–16(114)/2010, दिनांक 15 अक्टूबर, 2019 द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रेगुलेशन संख्या–F.1-2/2017(EC/PS), दिनांक 18 जुलाई, 2018 को लागू करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त रेगुलेशन के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि बेसिक अकादमिक स्कोर तथा ए0पी0आई0 स्कोर की गणना अलग नहीं की जायेगी, वरन् उक्त रेगुलेशन के अपेन्डिक्स–II के Table-3A में दी गयी व्यवस्थानुसार गणना की जायेगी। यदि विश्वविद्यालय विशेष के संदर्भ में सम्बन्धित विश्वविद्यालय के अधिनियमों/परिनियमों/शासनादेशों/नियामक संस्थाओं द्वारा निर्गत निर्देश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित प्रक्रिया से विरोधाभासी हों तो विश्वविद्यालय विशेष के संदर्भ में सम्बन्धित विश्वविद्यालय के अधिनियमों/परिनियमों/शासनादेशों/नियामक संस्थाओं द्वारा निर्गत निर्देशों की व्यवस्था के अनुसार गणना की जायेगी।
3. पूर्व आदेश में विभिन्न अभ्यर्थियों के विषय की जानकारी (Domain Knowledge) के लिए 20 अंकों की ऑबजेक्टिव टाइप लिखित परीक्षा की व्यवस्था रखी गयी थी। उक्त रेगुलेशन के अपेन्डिक्स–II के Table-3A में दी गयी व्यवस्थानुसार गणना के अनुपात में ऑब्जेक्टिव टाइप लिखित परीक्षा अब 40 अंकों की होगी।
4. Table-3A के अनुसार स्कोर की गणना से प्राप्त अंक तथा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर एक समेकित मेरिट लिस्ट बनायी जायेगी।
5. गणना तथा लिखित परीक्षा के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार संशोधन/स्पष्टीकरण के साथ पूर्व आदेश दिनांक 18 मई, 2021 में संवीक्षा समिति, अभ्यर्थियों से आपत्ति प्राप्त करने तथा परीक्षा संचालन आदि सम्बन्धी शेष व्यवस्थायें यथावत् रहेंगी।
6. उपरोक्तानुसार तैयार की गयी मेरिट लिस्ट से पूर्व आदेश दिनांक 18 मई, 2021 में दी गयी व्यवस्थानुसार अभ्यर्थियों की Short-listing की जायेगी और उन्हें साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जायेगा।
7. Short-listing के उपरान्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उक्त रेगुलेशन में दी गयी व्यवस्था के आलोक में Short-listed अभ्यर्थियों की साक्षात्कार की कार्यवाही दो भागों में की जायेगी। प्रथम भाग में शिक्षण कौशल की जानकारी का परीक्षण किया जायेगा तथा द्वितीय भाग में साक्षात्कार

सम्पन्न कराया जायेगा। यह कार्यवाही पूर्व आदेश दिनांक 18 मई, 2021 में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पन्न होगी।

ब–सह आचार्य एवं आचार्यः–

1. सह आचार्य एवं आचार्य के पद पर चयन हेतु प्रक्रिया के दो चरण होंगे। पहला चरण Short-listing का होगा और दूसरा चरण साक्षात्कार का।
2. उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनादेश संख्या–1190/सत्तर–1–2019–16(114)/2010, दिनांक 15 अक्टूबर, 2019 द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रेगुलेशन संख्या–F.1-2/2017(EC/PS), दिनांक 18 जुलाई, 2018 को लागू करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त रेगुलेशन के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि बेसिक अकादमिक स्कोर तथा ए0पी0आई0 स्कोर की गणना अलग नहीं की जायेगी, वरन् उक्त रेगुलेशन के अपेन्डिक्स–II के Table-2 में दी गयी व्यवस्थानुसार गणना की जायेगी। यदि विश्वविद्यालय विशेष के संदर्भ में सम्बन्धित विश्वविद्यालय के अधिनियमों/परिनियमों/शासनादेशों/नियामक संस्थाओं द्वारा निर्गत निर्देश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित प्रक्रिया से विरोधाभासी हों तो विश्वविद्यालय विशेष के संदर्भ में सम्बन्धित विश्वविद्यालय के अधिनियमों/परिनियमों/शासनादेशों/नियामक संस्थाओं द्वारा निर्गत निर्देशों द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. उपरोक्तानुसार गणना उपरान्त एक समेकित मेरिट लिस्ट बनायी जायेगी।
4. विश्वविद्यालय विशेष के संदर्भ में सम्बन्धित अधिनियमों/परिनियमों/शासनादेशों/नियामक संस्थाओं द्वारा निर्गत निर्देशों के आलोक में अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों की संख्या यदि काफी अधिक है तो कुलाधिपति के आदेश संख्याः ई–3019/32–जी0एस0/2020, दिनांक 18 मई, 2021 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार Short-listing की जायेगी तथा आगे की कार्यवाही उक्त आदेश दिनांक 18 मई, 2021 के अनुसार सम्पादित की जायेगी।

अन्य निर्देश

इस प्रकार सीधी भर्ती के प्रकरणों में 2 से अनधिक अभ्यर्थियों की एक प्रतीक्षा सूची भी बनाई जायेगी जिसकी वैधता अवधि परिणाम की घोषणा की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए होगी।

Anandi Patel

(आनंदीबेन पटेल)
कुलाधिपति

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. कुलपति, डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास, विश्वविद्यालय, मोहान रोड, लखनऊ
2. कुलपति, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या
3. कुलपति, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा
4. कुलपति, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर
5. कुलपति, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर
6. कुलपति, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ
7. कुलपति, उ0प्र0 पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा
8. कुलपति, डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
9. कुलपति, डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या
10. कुलपति, महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड, विश्वविद्यालय, बरेली
11. कुलपति, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
12. कुलपति, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
13. कुलपति, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर
14. कुलपति, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी
15. कुलपति, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
16. कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
17. कुलपति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
18. कुलपति, प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज
19. कुलपति, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
20. कुलपति, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर
21. कुलपति, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी
22. कुलपति, उ0प्र0 हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर
23. कुलपति, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, आई0ई0टी0 कैम्पस सीतापुर रोड लखनऊ
24. कुलपति, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी–फारसी विश्वविद्यालय, सीतापुर–हरदोई बाईपास रोड, लखनऊ
25. कुलपति, भातखण्डे संगीत संस्थान अभिमत–विश्वविद्यालय, लखनऊ
26. कुलपति, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी
27. कुलपति, अटल बिहारी वाजपेई चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ
28. कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ

39. निदेशक, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान रायबरेली रोड, लखनऊ
30. निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ

( महेश कुमार गुप्ता )
कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव।

प्रेषक,

संख्या-भा.स.42/ सत्तर-1-2021

मनोज कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक : 28 अक्टूबर, 2021

विषयः- सीधी भर्ती के अंतर्गत असिस्टेन्ट प्रोफेसर के पद पर चयन हेतु पीएच0डी0 डिग्री की अनिवार्य योग्यता की तिथि को यू0जी0सी0 द्वारा विस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र संख्या-F.No 9-1/2010(PS/Misc)pt.Vol-II दिनांक 12-10-2021 (छाया प्रति संलग्न) का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र दिनांक 12-10-2021 की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(मनोज कुमार)
विशेष सचिव

R
AR C Exam
28/X/21

संख्या ___ सत्तर-1-2021

प्रो. रजनीश जैन
सचिव

Prof. Rajnish Jain
Secretary

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)
बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Ph.: 011-23236288/23239337
Fax : 011-2323 8858
E-mail : secy.ugc@nic.in

F.No.9-1/2010(PS/Misc)pt.Vol-II

12th October, 2021

**Subject:** Ph.D. as mandatory requirement for appointment of Assistant professors in departments of the Universities- Extension of date regarding

Respected Madam/Sir,

As you are aware, UGC (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) Regulations, 2018 stipulates that Ph.D. degree shall be mandatory qualification for direct recruitment to the post of Assistant professors in universities from 01.07.2021.

The UGC, in view of COVID-19 pandemic, has decided to extend the date of applicability of Ph.D. as mandatory qualification for direct recruitment of Assistant professors from 01.07.2021 to 01.07.2023. Accordingly, an Amendment to the aforesaid Regulations has been notified in the Gazette on 11.10.2021.

Copy of the UGC (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) Amendment Regulations, 2021 is attached for your kind consideration and appropriate action.

With kind regards,

Yours sincerely,

(Rajnish Jain)

To,

The Vice-Chancellor of all Universities

श्री प्रकाश
26/10/2021